हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च, 2003

(द्वितीय बैठक)

खण्ड-I, अंक-5

अधिकृत विवरण

Library

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 10 मार्च, 2003

	पृष्ठ संख्या
वर्ष 2003-04 का बजट पेश करना	(5) 1

मूल्य : 17

LIB(U) 8-6-04
Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 10, मार्च, 2003

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

वर्ष 2003-2004 का बजट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2003-2004.

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन में 2003-2004 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री श्री औउम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में तीन वर्ष पूर्व ऐसे समय में सत्ता की बागडोर सम्भाली थी, जब गलत ढंग से लागू की गई पूर्ण मद्यनिषेध की नीति से प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। यह इस सरकार का चौथा बजट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गत तीन वर्षों के दौरान न केवल आर्थिक संकट का निवारण किया गया, अपितु तेजी से आर्थिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अब हमने बेहतर आर्थिक विकास गति, आधारभूत संरचना विकास व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए तेज गति से औद्योगिक विकास तथा स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता को विशेष महत्व देते हुये नई सहस्राब्दी में प्रवेश किया है।

3. यह वित्त वर्ष एक ऐसे दु:खद हादसे के साथ समाप्त होने जा रहा है जिसने न केवल हमारे राज्य व देश को, अपितु समूचे विश्व को एक गहरा आघात पहुचाया है। पहली फरवरी, 2003 को अन्तरिक्ष यान कोलम्बिया टैक्सास के ऊपर आकाश में टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया और परिणामस्वरूप करनाल में जन्मी प्रथम भारतीय महिला अन्तरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत सभी सातों अन्तरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। कल्पना चावला के निधन से हमने एक बहादुर और प्रतिभावान बेटी को खो दिया है। हमें कल्पना चावला पर गर्व है। वे हमारे युवकों और युवतियों के स्वप्नों को साकार करने में उनके लिये प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हरियाणा की इस साहसिक बेटी की स्मृति में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से करनाल में एक मैडिकल कालेज तथा कुरुक्षेत्र में एक नक्षत्रशाला स्थापित करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने कल्पना चावला की याद में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, अम्बाला का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार सहित कल्पना चावला मैमोरियल गोल्ड मैडल शुरु करने का भी निर्णय लिया है, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली दसवीं की परीक्षा में प्रथम आने वाली छात्रा को दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, इनकी स्मृति में राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पहले पांच स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को 2000 रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जायेगी।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

4. मैंने पिछला बजट प्रस्तुत करते समय आशा व्यक्त की थी कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था मंदी के दौर से उबरेगी, परन्तु प्राकृतिक प्रकोपों के कारण अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हमारा राज्य भी इससे अछूता नहीं रहा। तथापि, हमारी प्रगतिशील नीतियों और किसानों के कठोर परिश्रम से उत्पादन लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिये गये हैं। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये उद्योगों और उद्यमियों के अनुकूल वातावरण कायम किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये ईमानदारी से अनथक प्रयास किये और वे अपने इन प्रयासों में सफल रहे जिससे युवकों के लिये रोज़गार के अवसर जुटाने में मदद मिलेगी।

अर्थ-व्यवस्था की स्थिति

5. हरियाणा आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में निरन्तर प्रगति कर रहा है। हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2002-03, जो माननीय सदस्यों को पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है, में राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों (1993-1994) पर 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2000-01 में 33,125 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 34,800 करोड़ रुपये हो गया। वर्तमान मूल्यों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2000-01 में 54,660 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 59,754 करोड़ रुपये हो गया है।

6. क्षेत्रवार समीक्षा से पता चलता है कि वर्ष 2001-02 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के अंशदान में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंशदान में क्रमशः 5 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । रचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि शामिल है, अभी भी प्रमुख क्षेत्र है, बावजूद इसके कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था में इसका योगदान वर्ष 1993-94 में 42.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2001-02 में 31.6 प्रतिशत रह गया है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का अंशदान वर्ष 2001-02 में बढ़कर क्रमशः 28.1 प्रतिशत 40.3 प्रतिशत हो गया, जबकि वर्ष 1993-94 में यह 26.2 प्रतिशत और 31.3 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

7. स्थिर मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2001-02 में बढ़कर 14,075 रुपये हो गई, जबकि वर्ष 2000-01 में यह 13,759 रुपये थी। वर्तमान मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000-01 में 23,057 रुपये से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 24, 575 रुपये हो गई है। हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद चौथा स्थान है।

8. वर्ष 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में मूल्य वृद्धि जारी रही। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) मार्च, 2001, में 445 से बढ़कर मार्च, 2002 में 468 हो गया। यह दिसम्बर, 2002 में और बढ़कर 484 तक पहुंच गया। मूल्य सूचकांक में यह वृद्धि 3.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार, हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) में मार्च, 2001 से मार्च, 2002 की अवधि में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 401 से बढ़कर 420 हो गया। दिसम्बर, 2002 तक इसमें 2.4 प्रतिशत की और वृद्धि हुई और यह बढ़कर 430 हो गया।

9. बजट अनुमान 2002-03 के आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण से पता चलता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में राज्य के 759 करोड़ रुपये के योगदान के अतिरिक्त 1209 करोड़ रुपये का पूंजी निर्माण हुआ। इस प्रकार, वर्ष 2002-03 के दौरान कुल दौरान कुल 1968 करोड़ रुपये के पूंजी निर्माण का अनुमान है।

10. इस गरिमामय सदन को विदित है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना वित्त वर्ष 2002-03 से शुरू हो गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि दसवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति बनाने में पिछले अनुभव-हमारा मार्गदर्शन कर सकें।

11. नौवी पंचवर्षीय योजना के लिये 11,600 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था और इसमें मुख्यत: आर्थिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आर्थिक मंदी, केन्द्रीय पद्धति पर वेतनमान संशोधन, 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों, मद्यनिषेध की नीति लागू करने इत्यादि से राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इन कारणों की वजह से राज्य की वार्षिक योजना का परिव्यय पुन: निर्धारित करना पड़ा। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8624.37 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय के मुकाबले वास्तविक खर्च 7986.12 करोड़ रुपये का हुआ, जो 92.6 प्रतिशत की उपलब्धि को दर्शाता है। संसाधनों की कमी के बावजूद, भौतिक और आर्थिक आधारभूत संरचना निर्माण के लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है।

12. इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07 के लिये 12,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है और सामाजिक न्याय और कल्याण के साथ विकास की नीति दसवीं योजना अवधि में भी जारी रहेगी। तदनुसार, सामाजिक सेवाओं के विस्तार और आर्थिक आधारभूत संरचना में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। दसवीं योजना के दौरान अतीत की उपलब्धियों को समेकित करने और कम उपलब्धियों वाले क्षेत्रों की ओर ज्यादा ध्यान देने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार, दसवीं योजना मात्र एक संसाधन योजना की बजाय एक सुधार योजना के रूप में तैयार की गई है। हमें आशा है कि हम इस निवेश से राज्य के लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

वार्षिक योजना 2002-03

13. वार्षिक योजना 2002-03 के लिये 1922.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। बाद में इसे योजना आयोग द्वारा बढ़ाकर 2034 करोड़ रुपये कर दिया गया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव रहा। देश में लम्बे समय तक सूखे की स्थिति बनी रहने से केन्द्रीय और राज्य करों के संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप, केन्द्रीय करों के हमारे हिस्से में काफी कमी हुई। वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त योजनेतर खर्च स्वीकृत करना पड़ा। सहकारी मिलों को गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये 98.45 करोड़ रुपये की राशि देनी पड़ी। बिजली निगमों को सामान्य भुगतानों के अतिरिक्त 75 करोड़ रुपये के विभागीय ऊर्जा शुल्कों का भुगतान किया गया। पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत 128 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था करनी पड़ी। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं

[प्रो0 सम्पत सिंह]

चालू वित्त वर्ष के दौरान बिजली उत्पादन में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर) के लिये प्लांट लोड फैक्टर 72.72 प्रतिशत रहा, जबकि 1998-99 में यह 49.24 प्रतिशत था। प्लांट लोड फैक्टर में यह वृद्धि 22.8 प्रतिशत है जिससे ईंधन की लागत में काफी बचत हुई है।

23. राज्य सरकार ने लाऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत की सातवीं और आठवीं यूनिटों के निर्माण का कार्य शुरू किया है, जिससे वर्ष 2004-05 के अन्त तक बिजली उपलब्धता में प्रतिदिन 100 लाख यूनिट से भी अधिक वृद्धि होगी। साथ ही पड़ौसी राज्यों में निर्माणाधीन परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिये दीर्घकालिक समझौते करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

24. वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान, जनवरी, 2003 तक 312.51 करोड़ रुपये के निवेश से 36 नये ग्रिड सब-स्टेशन चालू किये गये, 162 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई और 705 किलोमीटर लम्बी नई सम्प्रेषण लाईनें बिछाई गईं। इसके अतिरिक्त, 700 करोड़ रुपये की लागत के कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और ये लगभग आगामी एक वर्ष की अवधि में पूरे कर लिये जायेंगे।

25. वितरण प्रणाली की मरम्मत और विस्तार का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू गया है, जिसमें अत्यधिक भार वाले 11 के०वी० के फीडरों का द्विभाजन/त्रिभाजन करना, उच्च तथा निम्न शक्ति की लाईनों की मरम्मत व वितरण ट्रांसफार्मरों में वृद्धि करना, निम्न शक्ति की केबल को बदलना इत्यादि शामिल हैं। इन गतिविधियों से वितरण ट्रांसफार्मरों की जलने की दर में 22 प्रतिशत से भी अधिक कमी करने और उपभोक्ताओं को उच्चकोटि की बिजली सप्लाई करने में मदद मिली है।

26. किसानों की सुविधा के लिये गत लगभग तीन वर्ष के दौरान 24,000 से भी अधिक नये नलकूप कनैक्शन दिये गये, जबकि इससे पहले प्रतिवर्ष औसतन 1000 से भी कम कनैक्शन दिये जाते थे। घरेलू तथा गैर-घरेलू कनैक्शन जारी करने के लिये विशेष अभियान शुरू किया गया ताकि आवेदकों को भविष्य में बिना इंतजार किये मांग पर कनैक्शन दिये जा सकें। नये कनैक्शनों के लिये आवेदन फार्मों को भी सरल बना दिया गया है।

27. चूंकि सूखे के कारण फसलें नष्ट होने से अनेक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिये इस वर्ष उन्हें विशेष रियायतें दी गई हैं। जिन किसानों का 'खराबा' 75 प्रतिशत से अधिक पाया गया, उनके 1-6-2002 से 30-9-2002 तक की अवधि के बिजली के बिल माफ कर दिये गये हैं और जिन किसानों का 'खराबा' 50 प्रतिशत से अधिक,परन्तु 75 प्रतिशत से कम था, उन्हें उपरोक्त अवधि के बिजली के बिलों का भुगतान बिना सरचार्ज के अप्रैल, 2003 तक करने की अनुमति दी गई। डिफाल्टर उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का सरचार्ज भी माफ किया गया ताकि उन्हें बिजली के बिलों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये प्रेरित किया जा सके। इन प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप बिजली निगम द्वारा जुलाई, 1999 से दिसम्बर, 2002 तक की अवधि के दौरान 1254 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली की गई। उपभोक्ताओं की ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न उपभोक्ता हितैषी योजनायें भी शुरू की गई।

वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों में बिजली क्षेत्र के लिये कुल 1216.99 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन

28. अध्यक्ष महोदय, राज्य की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिये किसानों को सिंचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। चूंकि पिछले कुछेक दशकों में राज्य में पानी की उपलब्धता में कोई वृद्धि नहीं हुई है और चूंकि भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग भी एक सीमा तक ही किया जा सकता है, इसलिये हमारी सरकार जल संरक्षण और इसके प्रबन्धन पर अधिक बल दे रही है। अत: नहरों और जलमार्गों की समय पर घास व गाद निकालने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि अन्तिम छोर तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच सके।

29. माननीय सदस्य इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि राज्य में मानसून के असफल रहने से किसानों की तकलीफें बढ़ी हैं। खरीफ की फसलों की बुआई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हमारी सरकार ने सूखे के प्रभाव को कम करने के लिये कारगर उपाय किये और खरीफ की फसलों की बुआई सुनिश्चित करने तथा उन्हें कामयाब करने के लिये भाखड़ा जलाशय से सिंचाई के लिये और ज्यादा पानी की व्यवस्था की ।

30. यह गरिमामय सदन इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि सतलुज-यमुना लिंक नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। इसके शीघ्र निर्माण की आवश्यकता की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है और पंजाब तथा केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं। दुर्भाग्य से पंजाब सरकार ने इस नहर को अपने क्षेत्र में 15 जनवरी, 2003 तक पूरा करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए 14-8-02 तथा 14-1-03 को सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि पंजाब के क्षेत्र में इस नहर को किसी केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से पूरा करवाया जाये। यह प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। केन्द्रिय कैबिनेट सचिव ने भी दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श किया है। हमारी अन्तरिम प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय ने 24-2-03 को भारत सरकार तथा पंजाब सरकार को दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर जवाब देने के निर्देश दिये हैं तथा हरियाणा राज्य को भी, यदि आवश्यक हो तो, प्रत्युत्तर देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। हमें आशा है कि पंजाब सरकार विवेक से काम लेगी और इस नहर को समय पर पूरा करने में सहयोग देगी।

31. राज्य सरकार आर०आई०डी०एफ० के अन्तर्गत विभिन्न सिंचाई कार्यों के लिये नाबार्ड से ऋण लेती रही है। नाबार्ड ने अब तक 485.69 करोड़ रुपये की 11 सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत की हैं। नाबार्ड से चालू योजनाओं के लिये 236.22 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। दो परियोजनायें नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजी गयी हैं, जिनमें 188 करोड़ रुपये की एक परियोजना भाखड़ा नहर के कमाण्ड क्षेत्र में बाढ़, सेम, और लवणता से प्रभावित भूमि को सुधारने से सम्बन्धित और 71 करोड़ रुपये की एक अन्य परियोजना यमुना कमाण्ड क्षेत्र में माइनरों का निर्माण व विस्तार करने से सम्बन्धित है। वर्ष 2002-03 में नाबार्ड से सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये 76.76 करोड़ रुपये का योजनागत प्रावधान किया गया है और वार्षिक योजना 2003-04 के लिये 65 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

32. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल संसाधन समेकित परियोजना, जो दिसम्बर, 2001 में पूरी हो गई, से हमारी सिंचाई प्रणाली के पुनर्निर्माण में काफी मदद मिली है। इस तथ्य के दृष्टिगत केन्द्र सरकार ने जल संसाधन समेकित परियोजना के शेष बचे कार्यों को पूरा करने के लिये 880 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है और इन्हें विश्व बैंक के पास विचार के लिये भेजा है। बास-हिसार-घग्घर ड्रेन के निर्माण के लिये 170.64 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना तैयार की गई है ताकि घग्घर के पानी को सिंचाई तथा भूमिगत जल भण्डार के संभरण के लिये उपयोग लाया जा सके। इस योजना से जिला जीन्द, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के बाढ़ के पानी की निकासी हो सकेगी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत डब्ल्यू०जे०सी० मेन ब्रांच, सिरसा ब्रांच, हांसी ब्रांच, पुरानी दिल्ली ब्रांच तथा अन्य सम्बद्ध चैनलों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है ताकि यमुना से अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जा सके।

बजट अनुमान 2003-04 में सिंचाई के लिये योजना और योजनेतर कुल 767.25 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

सड़कें तथा पुल

33. राज्य के समग्र विकास के लिये एक सुविकसित तथा कुशल सड़क आधारभूत संरचना अत्यंत आवश्यक है। इस तथ्य के दृष्टिगत राज्य में सभी सड़कों की मरम्मत, विस्तारण व सुदृढ़ीकरण का एक गहन कार्यक्रम शुरू किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 404 करोड़ रुपये की लागत से 4000 किलोमीटर लम्बी सड़कों की मरम्मत व सुधार तथा 70 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया । वर्ष 2003-04 के दौरान 300 करोड़ रुपये के परिव्यय से 60 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों और 3000 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार का प्रस्ताव है।

34. माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी सरकार ने सड़कों के सुधार के लिये हुडको, नाबार्ड, एन०सी०आर० योजना बोर्ड केन्द्र, सरकार इत्यादि विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। हुडको ने चरण-I और चरण-II के अन्तर्गत 1120 किलोमीटर लम्बे राज्यीय राजमार्गों के सुधार के लिये 217.08 करोड़ रुपये की परियोजनायें स्वीकृत की हैं, जिसमें से 180.80 करोड़ रुपये के खर्च से 1030 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया जा चुका है। हुडको द्वारा चरण-III और चरण-IV के अन्तर्गत 853 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गों के सुधार के लिये 198.10 करोड़ रुपये की परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। हुडको की सहायता से 325 किलोमीटर लम्बी प्रमुख जिला सड़कों और 7000 किलोमीटर लम्बी अन्य जिला सड़कों के सुधार के लिये 368.26 करोड़ रुपये की दो परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। हुडको के ऋणों की अदायगी पथकर से प्राप्त आय से की जायेगी। राज्य की पथकर नीति के अनुसार राज्य राज मार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों व अन्य जिला सड़कों पर केवल बसों व ट्रकों पर दो चरणों में 32 स्थानों पर पथकर लगाया जायेगा।

35. नाबार्ड ने आर०आई०डी०एफ०-III और IV के अन्तर्गत 60 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 37.69 करोड़ रुपये की परियोजनायें स्वीकृत की हैं, जिनमें से 59 कार्य पूरे किये जा चुके हैं। आर०आई०डी०एफ०-VIII के अन्तर्गत 21.30 करोड़ रुपये की लागत से 20 पुलों के निर्माण के लिये एक अन्य परियोजना भी स्वीकृत की गई है। सड़कों के सुधार के लिये 160 करोड़ रुपये की एक परियोजना नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजी गई है।

36. एन०सी०आर० योजना बोर्ड ने हाल ही में एन०सी०आर० क्षेत्र में सड़कों के सुधार के लिये 63.08 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है, जिसमें से 22.72 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

37. राज्य सरकार ने प्रदेश में महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण के लिये निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) की पद्धति अपनाई है। तदनुसार, कुरुक्षेत्र में वर्तमान सड़क उपरिगामी पुल की अतिरिक्त 2-लेनों का निर्माण कार्य बी०ओ०टी० आधार पर एक ठेका एजेंसी को दिया गया है और गुड़गांव-फरीदाबाद सड़क के सुधार के लिये निविदायें आमन्त्रित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेलवे द्वारा सड़क उपरिगामी पुलों की लागत की 50 प्रतिशत राशि देने के निर्णय के दृष्टिगत 182 करोड़ रुपये की लागत के 17 सड़क उपरिगामी पुलों के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

38. चूंकि केन्द्र सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार पर विशेष बल दिया है, इसलिये हमारा चालू वर्ष के दौरान 52.95 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 237 किलोमीटर लम्बे विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजमार्ग-10 को 220 से 250 किलोमीटर तक सुदृढ़ करने का कार्य 13.92 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-10 को बहादुरगढ़ से रोहतक तक चारमार्गी बनाने तथा रोहतक बाईपास के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 26.80 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई है।

39. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने भी ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विकास में काफी योगदान दिया है। चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर तक नई सड़कों के निर्माण पर 65.93 करोड़ रुपये की राशि और सड़कों की मरम्मत पर 10.05 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

बजट अनुमान 2003-04 में भवनों और सड़कों के लिये योजना तथा योजनेतर कुल 569.97 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

सार्वजनिक परिवहन

40. माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये एक कुशल सड़क परिवहन नेटवर्क आवश्यक है। यह हमारे लिये गर्व की बात है कि हरियाणा रोडवेज को इसकी संचालन कुशलता और उत्पादकता की दृष्टि से देश की सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवाओं में से एक माना गया है। हरियाणा रोडवेज, जिसके 3500 बसों के बेड़े में प्रतिदिन 11.23 लाख लोग यात्रा करते हैं, ने अपनी सेवाओं और लाभ में सुधार लाने के लिये अनेक उपाय शुरू किये हैं। हमारी सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान बस बेड़े में पुरानी बसों के स्थान पर 1600 नई बसें शामिल करके परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ किया है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान 503 और बसों को बदलने का प्रस्ताव है। यह संतोष का विषय है कि इनपुट लागत में बढ़ोतरी के बावजूद वर्ष 2001-02 में कर पूर्व लाभ बढ़कर 105 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 1999-2000 में यह 26 करोड़ रुपये था। बस बेड़े के बेहतर रख-रखाव, चालकों के नियमित प्रशिक्षण और उनके स्वास्थ्य की जांच से दुर्घटना दर वर्ष 1999-2000 में 0.15 प्रति लाख किलोमीटर से कम होकर 2001-02 में 0.11 हो गई है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न परिवहन उपक्रमों की राष्ट्रीय औसत से आधी है।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

41. हरियाणा रोड़वेज की आधारभूत संरचना में रोहतक में 12 बेज़ वाले बस अड्डे के निर्माण से सुधार हुआ है। कालका, थानेसर, तथा कालांवाली में बस अड्डे निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, इधीन और बरवाला में नये बस अड्डों का तथा रोहतक और बल्लभगढ़ में नई वर्कशापों का शीघ्र निर्माण किया जायेगा और रोहतक में नये बस अड्डे का विस्तार करके इसे 18 बेज़ का बनाया जायेगा।

42. हरियाणा अपने मार्गदर्शी और नवीन प्रयासों के लिये जाना जाता है। हमारी सरकार ने हरियाणा हाईवे पट्रोल नामक राजमार्ग सुरक्षा संगठन का गठन करके देश में पहल की है, जिसके फलस्वरूप मार्गों पर वाहनों की संख्या और औसत गति में वृद्धि होने के बावजूद चार प्रमुख राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में 15 प्रतिशत की कमी आई है। भारत सरकार ने इस मार्गदर्शी प्रयास की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए अन्य राज्यों को हरियाणा की पद्धति पर हाईवे पेट्रोल प्रणाली शुरू करने के निर्देश दिये हैं।

वर्ष 2003-04 के दौरान सड़क परिवहन के लिये योजना और योजनेतर, कुल 532.71 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

जन स्वास्थ्य

43. जन स्वास्थ्य सभी कल्याणकारी सरकारों का प्रमुख दायित्व है। हरियाणा राज्य को प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने का गौरव प्राप्त है। अब हम प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। विभाग द्वारा हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 3245 गांवों में पेयजल आपूर्ति का वर्तमान स्तर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के स्वीकृत मानदण्ड से कम पाया गया है।

44. चालू वित्त वर्ष के दौरान 650 गांवों में पेयजल आपूर्ति का स्तर बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिसमें से दिसम्बर, 2002 तक 322 गांवों में पेयजल आपूर्ति का स्तर बढ़ाया जा चुका है। वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 15.71 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय तथा त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये के परिव्यय से 500 गांवों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वजलधारा कार्यक्रम लागू किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 90 प्रतिशत लागत केन्द्र द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी और 10 प्रतिशत राशि का योगदान लाभानुभोगी ग्रुपों द्वारा दिया जायेगा। परियोजना पूरी होने के बाद इसका संचालन और रखरखाव लाभानुभोगी ग्रुपों द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2003-04 के दौरान भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की सम्भावना है।

45. कार्य की गति में तेजी लाने के लिये आर०आई०डी०एफ० के अन्तर्गत नाबार्ड से ऋण लिया जा रहा है। नाबार्ड ने 194.60 करोड़ रुपये की लागत से 689 गांवों के लिये 294 पेयजल आपूर्ति संवर्धन परियोजनायें स्वीकृत की हैं। हमारा चालू वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपये की राशि और आगामी वर्ष के दौरान 73.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

46. मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा के सभी गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। मार्च, 2002 तक पेयजल आपूर्ति का 74 प्रतिशत सेवा स्तर प्राप्त कर लिया गया

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

था। चालू वर्ष के दौरान 8.90 करोड़ रुपये की लागत से शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं में सुधार लाकर सेवा स्तर बढ़ाकर 76-77 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। हमारा वर्ष 2003-04 के दौरान 6.54 करोड़ रुपये की लागत से शहरों में पेयजल आपूर्ति को सेवा स्तर 78 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

47. एन०सी०आर० योजना बोर्ड ने सोनीपत, रोहतक, झज्जर,रिवाड़ी और गुड़गांव में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के सुधार व विस्तार के लिये 71.56 करोड़ रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की है। एन०सी०आर०, योजना बोर्ड ने हिसार जो एन०सी०आर० के अन्तर्गत एक काऊंटर-मैगनेट शहर है, में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के सुधार और विस्तार के लिये 15.94 करोड़ रुपये की एक अन्य परियोजना भी स्वीकृत की है। इसी प्रकार अम्बाला सदर, कैथल और भिवानी शहरों की पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये 49.70 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक परियोजना पर कार्य प्रगति पर है।

48. अध्यक्ष महोदय, यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत छः शहरों, नामत: यमुनानगर-जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव व फरीदाबाद में तथा गोहाना में दो मलजल परिशोधन संयंत्र चालू किये गये हैं, जिससे इन शहरों के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार होगा। पांच अतिरिक्त शहरों में अन्तारोधन और परावर्तन सीवर डालने का समस्त कार्य तथा पलवल शहर में 50 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। भारत सरकार ने यमुना कार्य योजना चरण-II के अन्तर्गत 62.50 करोड़ रुपये के लागत अनुमानों को अन्तिम रूप दिया है, जिसमें यमुना कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत आने वाले शहरों का अतिरिक्त अन्तारोधन और परावर्तन कार्य शामिल है।

49. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यमुना कार्य योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, यमुना नदी में गिरने वाले गंदे पानी के प्रदूषण स्तर को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित कर लिया गया है।

बजट अनुमान 2003-04 में जन स्वास्थ्य विभाग के लिये योजना और योजनेतर परिव्यय के लिए कुल 567.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि तथा सहायक गतिविधियां

50. कृषि, जो 75 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य आधार है, को राज्य की विकास योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। चालू वर्ष के दौरान खराब मौसम से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। हमारी सरकार ने किसानों को बिजली, पानी तथा अन्य कृषि इनपुट्स पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के ठोस प्रयास किये हैं। राज्य सरकार के प्रयासों और किसानों के कठोर परिश्रम से वर्ष 2001-02 के दौरान 133.01 लाख टन खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है जबकि वर्ष 2000-01 के दौरान 132.94 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2001-02 के दौरान 8.07 लाख टन तिलहनों का और 9.33 लाख टन गुड़ का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष के उत्पादन स्तर से अधिक है।

51. वर्ष 2002-03 के दौरान सूखे की स्थिति के बावजूद खाद्यान्नों का उत्पादन 127.83 लाख टन तथा कपास और तिलहनों का उत्पादन क्रमश: 10.38 लाख गांठें और 8.80 लाख टन होने की सम्भावना है।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

52. वर्ष 2003-04 के लिये 141 लाख टन खाद्यान्न, 9.50 लाख टन गन्ना (गुड़), 14.50 लाख गांठें कपास तथा 7.80 लाख टन तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

53. माननीय सदस्य इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि धान और गेहूं के फसल-चक्र से उत्पादन में कमी के साथ-साथ भूमि के उपजाऊपन में भी कमी आई है। कृषि का विविधिकरण आज समय की मांग है। अनाजों, विशेषत: धान और गेहूं की फसलों के बदले उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों बारे विशेष अभियान शुरू किये गये हैं। परन्तु फसलों के विविधिकरण को एक सफल कार्यक्रम बनाने के लिये किसानों की आय को संरक्षित करने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने कृषि के विविधिकरण के लिये एक व्यापक योजना बनाई है।

54. अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये उच्चकोटि के कृषि इनपुटों का प्रयोग आवश्यक है। वर्ष 2002-03 के दौरान किसानों को विभिन्न फसलों के 4.98 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये। चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों की खपत 9.38 लाख टन के स्तर तक पहुंचने की सम्भावना है। चालू वर्ष के दौरान फसली ऋणों का वितरण बढ़कर 2936.94 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 2429.98 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित किये गये थे।

55. सरकार ने ज़ीरो-टिलेज़ प्रौद्योगिकी, भूमिगत पानी के विवेकपूर्ण उपयोग, छिड़काव सिंचाई प्रणाली इत्यादि के उपयोग को बढ़ावा देने जैसी विभिन्न योजनायें शुरू की हैं, जिससे कृषि की लागत में कमी आयेगी और सिंचाई के लिये पानी की कम जरूरत पड़ेगी। ग्राम स्तर पर किसान क्लबों के गठन तथा पढ़े-लिखे किसानों को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में नि:शुल्क कृषि हैल्पालाईन जैसी अन्य सुविधायें भी उपलब्ध करवाई गई हैं। राज्य सरकार ने स्वर्गीय चौधरी देवी लाल की स्मृति में उत्कृष्ट किसानों के लिये किसान पुरस्कार भी शुरू किये हैं।

56. ग्रामीण लोगों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिये पशुपालन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुधारू पशुओं में आनुवंशिक सुधार तथा उन्हें रोगमुक्त रखने के लिये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड ने प्रदेश में पशु प्रजनन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने उच्चकोटि की मुर्राह भैंसों के लिये बीमा योजना लागू की है।

57. राज्य सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दूध का उत्पादन 58.03 लाख मीट्रिक टन, अण्डों का उत्पादन 15,890 लाख तथा ऊन का उत्पादन 28.58 लाख किलोग्राम तक बढ़ाने की योजना है।

58. राज्य सरकार मछली उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। चालू वित्त वर्ष दौरान 38,000 टन मछली उत्पादन करने का लक्ष्य है। दिसम्बर, 2002 तक 6,874 हैक्टेयर जलीय क्षेत्र को मछली पालन के अधीन लाकर 23,500 टन मछली का उत्पादन किया गया। मछली और झींगा मछली पालन के लिये लवणीय भूमि के विकास की मार्गदर्शी परियोजनाओं के अन्तर्गत 35 हैक्टेयर लवणीय भूमि मछली/झींगा मछली पालन के अधीन लाई गई । वर्ष 2003-04 के दौरान 41,500 टन मछली का उत्पादन करने और 2000 लाख मछली के बीजों का भण्डार करने का प्रस्ताव है।

योजना और योजनेतर शीर्षों के अन्तर्गत कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिये 576.61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वन

59. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में वन सम्पदा के महत्व के प्रति सजग है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल थोड़े से भूभाग पर वन हैं। प्रदेश में सड़कों, नहरों, रेलवे लाईनों के साथ-साथ तथा पंचायती भूमि व कृषि भूमि इत्यादि पर हरित पट्टियों के रूप में वनों का विकास किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 22,812 हैक्टेयर भूमि पर वृक्ष लगाने का लक्ष्य है और जनवरी तक 17,217 हैक्टेयर क्षेत्र पर 4.26 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। राज्य में वन वनस्पति योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। जिला यमुनानगर के गांव चुहड़पुर में 50 एकड़ क्षेत्र पर चौधरी देवी लाल हर्बल प्रकृति पार्क विकसित किया जा रहा है। सामुदायिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत 126 करोड़ रुपये के निवेश से 300 गांवों में वृक्ष लगाए जाएंगे। शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में वन प्रबन्धन के लिए 60 पहाड़ी संसाधन प्रबन्धन समितियां तथा 294 ग्रामीण वन समितियां गठित की गई हैं।

60. हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के प्रति पूर्णत: सजग है। राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में गिद्धों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए बम्बई नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से एक अनूठा गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

वर्ष 2003-04 के दौरान वन, भू-संरक्षण और वन्य प्राणी कार्यक्रमों के लिए योजना तथा योजनेतर स्कीमों के अन्तर्गत 77.86 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

सहकारिता

61. प्रदेश में 22,545 सहकारी समितियां हैं, जिनके 47.05 लाख सदस्य हैं। किसानों की कृषि ऋण सम्बन्धी लगभग 75 प्रतिशत जरूरतें 19 सहकारी बैंकों, जिनकी 348 शाखाएं और 2418 मिनी बैंक हैं, के माध्यम से पूरी की जाती हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान इन सहकारी बैंकों के माध्यम से 4205.32 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण और 367 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण वितरित किये जा रहे हैं।

62. प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों ने वर्ष 2002-03 के दौरान 31 दिसम्बर तक 81.68 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की। राज्य की तीन सहकारी चीनी मिलों ने तकनीकी कुशलता और गन्ना विकास के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

बजट अनुमान 2003-04 में सहकारी क्षेत्र के लिए योजना और योजनेतर परिव्यय के लिए कुल 38.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक विकास

63. हमारी प्रगतिशील नीतियों, बेहतर आधारभूत संरचना तथा उद्योगों के अनुकूल वातावरण के फलस्वरूप हुए तीव्र औद्योगिक विकास की वजह से हरियाणा राज्य निवेश के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में उभरा है। इस समय राज्य में 1157 बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्योग और 75,000 लघु उद्योग कार्यरत हैं।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

64. हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई है, जिससे प्रदेश में उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है। वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता की बागडोर सम्भालने के बाद दिसम्बर, 2002 तक 140 बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्योग तथा लगभग 4000 लघु इकाईयां स्थापित हुई हैं। नई इकाईयों की स्थापना और वर्तमान इकाईयों के विस्तार में 8000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है, जिससे 1.54 लाख लोगों को रोज़गार मिला है।

65. सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीति के फलस्वरूप गत तीन वर्ष के दौरान राज्य का निर्यात बढ़कर दोगुना हो गया है और वर्ष 2002-03 के दौरान यह 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ज़िला गुड़गांव के गांव गढ़ी हरसरू में एक विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

66. हरियाणा अपने सुदृढ़ औद्योगिक आधार, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना और उत्पादन हितैषी जनशक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आदर्श राज्य बन गया है। वर्ष 1991 से अब तक प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कुल 817 प्रस्तावों में से 2251 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश के 217 प्रस्ताव वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही प्रस्तुत किए गये हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान 1224 करोड़ रुपये के निवेश के 167 औद्योगिक उद्यमकर्त्ता ज्ञापन तथा 2002-03 के दौरान दिसम्बर तक 787 करोड़ रुपये के निवेश के 140 औद्योगिक उद्यमकर्त्ता ज्ञापन प्रस्तुत किए गए।

67. राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आई०टी० नीति तथा जैव प्रौद्योगिकी नीति बनाई हैं। नई खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई जा रही है। केन्द्र सरकार ने चार फूड पार्क स्वीकृत किए हैं, जिन पर 4-4 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साहा और राई में फूड पार्कों पर निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि डबवाली और नरवाना में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। 'कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया' द्वारा औद्योगिक सम्पदा, राई में एक कोल्ड चेन परिसर स्थापित किया जा रहा है। कोल्ड चेन परिसर में नियंत्रित वातावरण के तहत ताजे उत्पादों का प्रबधंन व वितरण किया जाता है। ताकि उत्पाद को खेत से लाये जाने से लेकर उसकी खुदरा बिक्री होने तक उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके और उसे जाया होने से बचाया जा सके।

68. हमारी उदार उद्योग नीति में नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जुलाई, 1999 से दिसम्बर, 2002 तक 5088 औद्योगिक प्लाट आबंटित किए हैं, जिनमें लगभग 8000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। विदेशी निवेश आकर्षित करने और सेवा क्षेत्र में बेहतर आर्थिक विकास के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड गठित किया गया है।

बजट अनुमान 2003-04 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए योजना और योजनेतर परिव्यय के लिए कुल 52.62 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं रोज़गार

69. इस सरकार के समक्ष एक चुनौती रोजगार जुटाने की थी। राज्य सरकार उद्योग और व्यापार की कुशल तथा तकनीकी जनशक्ति सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के प्रति पूर्णत: सजग है।

70. औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 118 व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों और 33 अन्य संस्थानों, जिनकी प्रवेश क्षमता 32,000 छात्र है, के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक ट्रेडों में प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्ग दर्शन प्रदान कर रहा है। इन संस्थानों में से 31 संस्थान केवल महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ताकि उनके लिए रोज़गार के अवसर जुटाए जा सकें। चालू वर्ष के दौरान चौटाला और निसिंग में दो नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा नन्दकरण माजरा (कैथल) और चांग (भिवानी) में दो नए व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोले गए हैं।

71. हमारी सरकार ने प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्य को प्राथमिकता दी है। शिक्षा विस्तार के उपाय के रूप में निजी क्षेत्र को बहुतकनीकी संस्थान और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस समय प्रदेश में 116 डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर के संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें 20,575 सीटें हैं। रिजनल कॉलेज आफ इंजीनियरिंग, कुरुक्षेत्र को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने के लिए ज़िला सिरसा के गांव पन्नीवाला मोटा में 36.25 करोड़ रुपये की लागत से चौधरी देवी लाल मैमोरियल इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जा रहा है।

72. तकनीकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए विभिन्न कोर्सों के पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण किया जा रहा है ताकि आधुनिक समय की जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में रोजगार की बेहतर संभावनाओं वाले नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, अम्बाला में 'कॉल सैण्टर बिजनेस' के लिए एक प्रशिक्षण कोर्स मार्गदर्शी आधार पर शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम परियोजना पर विश्व बैंक के साथ बातचीत की है, जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम और आधारभूत संरचना में सुधार लाकर तथा कोर्स शुरू करके तकनीकी संस्थाओं की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। प्रथम चरण में यह परियोजना 100 करोड़ रुपये की लागत से चार इंजीनियरिंग कालेजों/विश्वविद्यालयों और दो तकनीकी बहु-संस्थानों में लागू की जाएगी।

73. हमने अपनी आई०टी० नीति के अनुपालन में सभी राजकीय तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न चरणों में इन्टरनेट संयोजकता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा

74. राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा व शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के द्वारा मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता के प्रति सजग है। स्कूलों में बच्चों, विशेषत: अनुसूचित जातियों और समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियों को स्कूलों में दाखिला प्रोत्साहन हेतु मुफ्त वर्दी एवं लेखन सामग्री, उपस्थिति पुरस्कार, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और विशेष उपस्थिति भत्ते जैसे विशेष प्रोत्साहन के कार्यक्रम शुरू किये गए हैं। विशेष दाखिले अभियान चलाये जाते हैं और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा रहा है ताकि लोगों में शिक्षा की आवश्यकता और इसके महत्व के प्रति जागरूकता पैदा हो। हमारी सरकार 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में अब प्राईमरी स्कूलों की सुविधाएं 1-2 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध हैं।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

75. हमारी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राज्य स्तरीय सोसाइटी के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित सर्वशिक्षा अभियान योजना 16 ज़िलों में लागू की है और इसे गुड़गांव, भिवानी तथा महेन्द्रगढ़ ज़िलों में आगामी वर्ष से लागू किया जाएगा। यह बहुआयामी योजना वर्ष 2003 तक स्कूलों में सभी बच्चों के दाखिले सुनिश्चित करने, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने तथा 2010 तक आठ वर्ष तक की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलाई जा रही है।

76. हमने सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान 39 सहायता प्राप्त प्राईवेट कॉलेजों को नए स्व-सहायता कोर्स शुरू करने की अनुमति दी है। उच्चतर शिक्षा में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उभरते क्षेत्रों में रोजगार की उच्च संभावनाओं वाले कोर्सों के लिए उदारता से अनुमति दी जा रही है। हमारी सरकार ने चौ० देवी लाल की स्मृति में स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, सिरसा का दर्जा बढ़ाकर इसे विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है ताकि सिरसा और आसपास के ज़िलों की शिक्षा सम्बन्धी ज़रूरतें पूरी हो सकें।

बजट अनुमान 2003-04 में शिक्षा क्षेत्र के लिए योजना और योजनेतर परिव्यय के लिए कुल 1881.04 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए 932.81 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 580.76 करोड़ रुपये, उच्चतर शिक्षा के लिए 218.91 करोड़ रुपये, तकनीकी शिक्षा के लिए 66.47 करोड़ रुपये, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए 49.75 करोड़ रुपये तथा कला, सांस्कृतिक एवं युवा कल्याण गतिविधियों के लिए 32.34 करोड़ रुपये शामिल हैं।

समाज कल्याण

77. जननायक चौधरी देवी लाल द्वारा समाज कल्याण योजनाएं शुरू किए जाने के समय से हम वयोवृद्ध नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों और समाज के वंचित वर्गों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। आज अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों का सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कल्याण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अब 12,47,792 वयोवृद्ध नागरिकों, विधवाओं और विकलांग लाभार्थियों को नियमित रूप से बढ़ी हुई पैंशन दी जा रही है। वर्ष 2002-03 के लिए 303.41 करोड़ रुपये की राशि और 2003-04 के लिए 339.23 करोड़ रुपये की राशि पैंशन के लिए रखी गई है।

78. बुजुर्गों की देखभाल के उपायों के रूप में आज 413 ताऊ देवी लाल वृद्ध विश्राम गृहों का निर्माण किया जा चुका है और 202 ऐसे वृद्ध विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं।

79. हमारी सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करने में हरियाणा के सैनिकों की भूमिका की सराहना करती है। उनकी अनुकरणीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हमने भूतपूर्व सैनिकों/ विधवाओं को दी जाने वाली सहायता 200 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिमास कर दी है।

80. अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग इन समुदायों के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। कन्यादान योजना के तहत 31-12-2002 तक अनुसूचित जातियों के 13,814 लाभार्थियों को 7.05 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई । अनुसूचित जातियों के पर्यावरण सुधार के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

81. हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास व सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश के 9.64 लाख बच्चों तथा 2.33 लाख गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मातओं को अनुपूरक पोषाहार के लिए समेकित बाल विकास योजना 13,546 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 111 ग्रामीण और पांच शहरी विकास खण्डों में चलाई जा रही है। इस योजना पर वर्ष 2002-03 के दौरान 39.63 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। वर्ष 2002-03 के दौरान किशोरी शक्ति योजना 85 समेकित बाल विकास परियोजना क्षेत्रों में लागू कर दी गई है, जिससे 6,572 किशोरियां लाभान्वित हुई हैं।

बजट अनुमान 2003-04 में समाज कल्याण के लिए योजना और योजनेत्तर स्कीमों के अन्तर्गत 542.96 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

खाद्य एवं आपूर्ति

82. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा केन्द्रीय अन्न भण्डार को अनाज देने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। केन्द्रीय अन्न भण्डार में चावल का योगदान 11 प्रतिशत और गेहूं का योगदान 25 प्रतिशत है। खरीफ 2002-03 के दौरान खरीद एजेन्सियों ने 21.14 लाख मीट्रिक टन लेवी धान की खरीद की, जिसमें से 13.10 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय अन्न भण्डार को दिया जायेगा। रबी 2002-03 के दौरान गेहूं की कुल 58.92 लाख मीट्रिक टन आवक में से 58.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं केन्द्रीय अन्न भण्डार के लिए खरीदा गया। रबी 2002-03 के दौरान 65 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की खरीद करने के लिए व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम, जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित होता है, के अन्तर्गत की जाती है।

83. हमारी पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्य की 7,193 दुकानों, जिनमें 4,764 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में और 2,429 दुकानें शहरी क्षेत्रों में हैं, के माध्यम से जनसाधारण तक आवश्यक वस्तुएं वितरित करके मूल्यों को नियंत्रित करने में काफी सहायक सिद्ध हो रही है। राज्य में 44,76,373 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 1,13,656 गरीब परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमास 35 किलोग्राम गेहूं दिया जा रहा है ।

स्वास्थ्य सेवाएं

84. माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि स्वास्थ्य सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है। इसलिए राज्य में 50 अस्पतालों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 402 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2,299 उप-केन्द्रों, 12 जिला तपेदिक केन्द्रों और 39 औषद्यालयों के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये स्वास्थ्य सेवाएं 2,054 डाक्टरों, 220 दन्त चिकित्सकों, 1,478 स्टाफ नर्सों, 979 फार्मासिस्टों, 5,186 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, 867 प्रयोगशाला तकनीशियनों, 93 ऑफथालमिक सहायकों और 142 रेडियोग्राफरों के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस संस्थान में दिल के मरीजों की विभिन्न प्रकार की जांच करने के लिए 3.11 करोड़ रुपये की लागत से एक कैथ लैब स्थापित की जा रही है।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

85. हमारी सरकार स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। इस समय 2 अस्पताल, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सिविल अस्पताल,फतेहाबाद तथा झज्जर में रक्त बैंक निर्माणाधीन हैं।

86. राज्य सरकार प्रदेश से पोलियो समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। पोलियो की समाप्ति के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने जनवरी और फरवरी, 2003 में समेकित पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (आई०पी०पी०आई०) को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया । जनवरी, 2003 में इस कार्यक्रम के पहले दौर में पांच वर्ष तक आयु के 38,29,272 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए गए। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके फलस्वरूप मलेरिया का प्रकोप काफी हद तक कम हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए यूरोपियन आयोग द्वारा वित्त पोषित सैक्टर निवेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हरियाणा एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने पी०जी०आई० एम०एस०, रोहतक तथा 12 अन्य सिविल अस्पतालों में स्वैच्छिक परामर्श तथा जांच केन्द्र स्थापित किए हैं। राज्य के सभी ज़िलों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 19-1-2003 को करनाल में ट्रॉमा सैण्टर का उद्घाटन किया गया । सिरसा में भी एक ट्रॉमा सैण्टर खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार ने सिविल अस्पताल, पंचकूला का दर्ज़ा बढ़ाकर इसे 150 बिस्तरों का अस्पताल बना दिया है।

87. प्रदेश में घटते पुरुष-महिला अनुपात को नियंत्रित करने के लिए चौधरी देवी लाल राष्ट्र उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना, जो देवी रूपक योजना के नाम से जानी जाती है, शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत, जो दम्पत्ति पहला बच्चा लड़की होने पर नसबन्दी या नलबन्दी करवाएंगे, उन्हें 20 वर्ष की अवधि तक 500 रुपये प्रतिमास और जो दम्पत्ति पहला बच्चा लड़का होने पर या पहली दो लड़कियां होने पर नसबन्दी या नलबन्दी करवाएंगे, उन्हें प्रतिमास 200 रुपये दिए जाएंगे। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण-II के अनुसार राज्य में जन्मदर 23.1 प्रति हजार है, जो 24.8 प्रति हजार की औसत राष्ट्रीय दर से कम है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 56.8 प्रति हजार है, जबकि औसत राष्ट्रीय दर 67.6 प्रति हजार है और प्रदेश में मृत्यु दर 8 प्रति हजार है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 9.7 है। हम इसमें और सुधार लाने के लिए वचनबद्ध हैं।

वर्ष 2003-04 के दौरान मैडिकल शिक्षा और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति समेत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजना और योजनेतर शीर्षों के अन्तर्गत 409.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास तथा पंचायतें

88. ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास करना एक अन्य चुनौती है जो हमारा ध्यान आकृष्ट कर रही है। इसलिए हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी आधारित तथा स्व-रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाने, गरीबी उन्मूलन और आधारभूत संरचना के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। हम केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत स्व-रोजगार के सभी पहलू जैसे कि स्वयं

सहायता समूहों का गठन करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, विपणन इत्यादि आते हैं। इस योजना के तहत दिसम्बर, 2002 तक 6, 306 लाभार्थियों, जिनमें 3,414 महिलाएं और 2,905 अनुसूचित जातियों के व्यक्ति शामिल हैं, को 708.59 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को प्रति श्रम दिवस 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 12 किलोग्राम गेहूं और 20 रुपये की नकद मजदूरी दी जाती है। दिसम्बर, 2002 तक 97.40 लाख मानव श्रम दिवसों का सृजन करने के लिए 6,519.66 लाख रुपये की राशि तथा 66,441 मीट्रिक टन गेहूं का उपयोग किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अन्तर्गत 23,958 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया गया, जिससे 19.28 लाख श्रम दिवस सृजित हुए। हमारी सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना तथा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के माध्यम से लक्षित समूह की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिसम्बर, 2002 तक 6088 मकान बना दिये गये हैं और 674 निर्माणाधीन हैं।

89. हमारी सरकार द्वारा शुरू सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है और इसकी राष्ट्र स्तर पर प्रशंसा हुई है। इस कार्यक्रम से राज्य प्रशासन को लोगों के घरद्वार पर ले जाने और सरकारी तंत्र को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में सहायता मिली है। इस कार्यक्रम के चरण-I के अन्तर्गत घोषित कुल 15,355 घोषणाओं में से 12,687 कार्य 919.35 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हो चुके हैं। चरण-II के अन्तर्गत की गई कुल 18,010 घोषणाओं में से 9,282 कार्य 596.11 करोड़ रुपये से पूरे किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू हो चुका है।

वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को दिए गए केन्द्रीय अनुदान समेत 125.81 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

नागरिक प्रशासन और शहरी विकास

90. अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाएं स्थानीय स्वशासन की महत्त्वपूर्ण इकाईयां हैं। हमारी सरकार नगरों और शहरों के समेकित विकास के प्रति सजग है। हम शहरी लोगों को 68 पालिकाओं के तंत्र, जिसमें एक नगर निगम, 20 नगर परिषदें और 47 नगरपालिकाएं शामिल हैं, के माध्यम से आवश्यक नागरिक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने राज्य के छः बड़े शहरों का दर्जा बढ़ाकर उनमें नगर निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है।

91. स्थानीय निकायों को शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरण सुधार, छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का समेकित विकास, शहरी ठोस कूड़ा-करकट प्रबन्धन, अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हमारी सरकार ने वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को बेहतर आवास और स्वच्छ परिवेश उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। हमने शहरी सुधारों के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे हम भारत सरकार से अनुदान लेने के पात्र हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत 10.70 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

92. हमारी सरकार नगरपालिकाओं के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयासरत है। इन निकायों को 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार विकास अनुदान उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्थानीय निकायों को प्रथम राज्य वित्त आयोग के आवार्ड के अनुसार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार ने अब द्वितीय राज्य वित्त आयोग गठित कर दिया है और इन निकायों को इसकी सिफारिशों के उपरान्त अतिरिक्त बजट सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

93. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने लोगों को रहने के लिए बेहतर पर्यावरण उपलब्ध करवाने और सामाजिक व वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भूमि सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने में सराहनीय कार्य किया है। हुडा ने चालू वर्ष के दौरान 19,484 प्लॉट आबंटित किए, जिनमें 18,022 आवासीय प्लॉट, 1,227 औद्योगिक प्लॉट और 235 संस्थागत प्लॉट शामिल हैं। आधारभूत संरचना और सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 214.68 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। हुडा ने 766.33 एकड़ भूमि अधिगृहीत की है और 41.42 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है।

वर्ष 2003-04 के दौरान शहरी विकास पर कुल 56.20 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

खेल एवं युवा मामले

94. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हरियाणा ने उत्कृष्ट खिलाड़ी पैदा करके खेल के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट आधारभूत संरचना का निर्माण करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। हमने प्रदेश में नई खेल नीति लागू की है जिसके अन्तर्गत खेल आधारभूत संरचना और सुविधाओं को उन्नत बनाने व खेल प्रतिभाओं की पहचान करने पर बल दिया गया है और राज्य का नाम रौशन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए हैं।

95. वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1931 पदक प्राप्त किये और खिलाड़ियों को 359.25 लाख रुपये के पुरस्कार दिये गये, जबकि पिछली सरकार ने वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान 1236 खिलाड़ियों को केवल 85.40 लाख रुपये के पुरस्कार दिये थे। हमने बूसान एशियाई खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 1.09 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार तथा जुलाई-अगस्त, 2002 में मानचेस्टर में हुए कॉमन वैल्थ खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके राज्य का नाम रौशन करने वाले प्रदेश के 11 खिलाड़ियों को 72 लाख रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिसम्बर, 2002 में हैदराबाद में हुए 32वें राष्ट्रीय खेलों में 19 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य पदक जीतकर सातवां स्थान प्राप्त किया।

96. जनवरी, 2003 में अम्बाला में राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव तथा राज्य युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 युवकों ने भाग लिया । युवा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक वर्कशाप भी आयोजित की गई।

वर्ष 2003-04 में खेलों और युवा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 5.23 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशासन—एक नई पहल

97. समाज के तेज गति से सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक आवश्यक घटक है। राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राज्य सरकार ने व्यापक आई०टी० नीति घोषित की है, जो शिक्षाप्रद और किफायती है। आई०टी० नीति में सेवाओं की गुणवत्ता, राज्य प्रशासन की कुशलता, आई०टी० आधारभूत संरचना में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा आई०टी० नीति में दिए गए अनेक प्रोत्साहनों तथा बेहतर मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं से आई०टी० क्षेत्र की अनेक विश्व प्रसिद्ध कम्पनियां हरियाणा में निवेश करने के लिए प्रेरित हुई हैं। राज्य सरकार ने आई०टी० नीति, 2000 में संशोधन किया है ताकि इसमें रोजगार उत्पन्न करने वाली सेवाओं, निवेश तथा निर्यात आय को शामिल किया जा सके। राज्य सरकार ने निवेशक हितैषी मार्गाधिकार नीति के अन्तर्गत राज्य में आप्टिकल फाईबर केबल डालने के लिए मैसर्ज भारती टेलीनेट और मैसर्ज हरियाणा साईबर नैट नामक दो कम्पनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आई०टी० कम्पनियों को विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने के लिए गुड़गांव में निजी क्षेत्र में एक साईबर सिटी स्थापित किया जा रहा है।

98. राज्य सरकार सरकारी विभागों के कामकाज में आई०टी० के प्रयोग पर विशेष बल दे रही है। इलैक्ट्रॉनिक्स प्रशासन केन्द्र सरकारी विभागों और सार्वजनिक उद्यमों के 8,000 से भी अधिक कर्मचारियों को आई०टी० प्रशिक्षण दे चुका है। राज्य में इलैक्ट्रॉनिक्स प्रशासन शुरू करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपये की लागत से 34 विभागों, बोर्डों और निगमों की आई०टी० सक्षम योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पेंशन योजनाओं का भी कम्प्यूटरीकरण किया गया है। प्रदेश के सभी 21 खजानों और 80 उप-खजानों में ऑन-लाईन सूचना खजाना प्रणाली लागू की जा रही है। प्रदेश की सभी 67 तहसीलों और 32 उप-तहसीलों में हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली लागू की जा रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जिला एवं राज्य स्तर पर कम्प्यूटर के द्वारा परिवीक्षण किया जा रहा है।

वित्तीय सुधार

99. अध्यक्ष महोदय, राज्य की वित्तीय व्यवस्था को हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। राज्य प्रशासन, पेंशनों और ब्याज भुगतान के बढ़ते खर्च तथा सार्वजनिक ऋण भार के बारे में चिंतित है। हम महसूस करते हैं। कि इन मुद्दों पर समुचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। वित्तीय पुनर्गठन उपायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत सरकारी मशीनरी को तर्कसंगत बनाने जैसी ठोस नीतिगत पहल किये जाने की आवश्यकता है ताकि राजस्व जुटाने, खर्च प्रबंधन और आधारभूत संरचना विकास जैसे मुद्दों का दीर्घकालिक समाधान हो सके।

100. केन्द्र सरकार ने वित्तीय सुधारों की आवश्यकता महसूस करते हुए राज्यों के लिए मध्यावधि वित्तीय सुधार कार्यक्रम तैयार किया है और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो राज्यों द्वारा निश्चित अवधि में प्राप्त किए जाने हैं। हमारी सरकार ने भी वित्तीय संतुलन कायम करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के संगठनात्मक ढांचे और अमला-पद्धति को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। समीक्षाधीन विभागों के फालतू अमले की छटनी नहीं की जायेगी, बल्कि इसे अन्य विभागों में आवश्यकतानुसार

[प्रो0 सम्पत सिंह]

समाधोजित किया जाएगा। इन उपायों से प्रशासनिक मशीनरी की कार्यकुशलता में सुधार होगा। हमने गत साढ़े तीन वर्ष के दौरान महत्त्वपूर्ण विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में 29,898 पद सृजित किये हैं और उन्हें भरा है। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न चरणों में 20,000 जरूरी पद सृजित करने व भरने की योजना बना रहे हैं।

101. राज्य सरकार ने संसाधन जुटाने के उद्देश्य से कर नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उपाय अपनाए हैं ताकि राजस्व की वसूली बेहतर ढंग से हो सके। बिक्री कर की एक समान दरें अपनाई गई हैं और उद्योगों को दिए जाने वाले बिक्री कर आधारित प्रोत्साहन समाप्त कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय आम सहमति के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पहली अप्रैल, 2003 से मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली अधिक पारदर्शी, तटस्थ, सरल तथा कार्य कुशल होगी। नई उद्योग नीति लागू की गई है ताकि निजी निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध हो सके। शिक्षाप्रद और किफायती आई०टी० नीति भी अपनाई गई है।

102. मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि राज्य की ऋण देयता अब गम्भीर चिन्ता का विषय बन गई है। मैंने वर्ष 2001-02 के बजट भाषण में ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए एक ऋण निवारण कोष गठित करने का प्रस्ताव रखा था। अब हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धति पर एक समेकित ऋण निवारण कोष का गठन किया है। इस कोष में राज्य के बजट से योगदान दिया जाएगा। इसी प्रकार, हमने स्टेट गारण्टियों के भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए एक गारण्टी विमोचन कोष गठित किया है। ये कोष इस वर्ष से चालू कर दिए जाएंगे। गारण्टी फीस से प्राप्त होने वाली आय इस कोष में जाएगी।

103. अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने सितम्बर, 2002 से ऋण विनिमय योजना शुरू की है, जिसके तहत लघु बचत ऋण की 20 प्रतिशत राशि ऊंची ब्याज दर के केन्द्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इस योजना को अपनाने वाले राज्यों को आबंटित अतिरिक्त मार्किट ऋणों की राशि भी पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। राज्य सरकार ने यह योजना अपनाई है और चालू वर्ष के दौरान इस खाते में अतिरिक्त मार्किट ऋणों की 189.50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस योजना से राज्य का ऋण भार कम होगा।

बजट अनुमान 2003-04

104. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्ष 2003-04 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं।

105. वर्ष 2002-03 भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार 454.16 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ हुआ और इसकी 780.53 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की संभावना है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान लेन-देन में 326.37 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

106. वित्त वर्ष 2003-04, 780.53 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ होने और 670.96 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की संभावना है। इस प्रकार शुद्ध लेन-देन 109.57 करोड़ रुपये के अधिशेष को दर्शाता है। यह विवेकशील वित्तीय प्रबन्धन का संकेत है, जो आगामी वर्ष के दौरान जारी रहेगा। बजट अनुमानों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और अन्य विकास

योजनाओं के लिए 565.26 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के अतिरिक्त राज्य योजना के लिए 2,100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य योजना के 2100 करोड़ रुपये के परिव्यय को 1595.16 करोड़ रुपये (76 प्रतिशत) राज्य के अपने संसाधनों से तथा 504.84 करोड़ रुपये (24 प्रतिशत) केन्द्रीय सहायता से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

107. वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों में राज्य के समेकित कोष में 15,380.50 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां दिखाई गई हैं। जबकि वर्ष 2002-03 के संशोधित अनुमानों में ये 13,350.13 करोड़ रुपये की हैं। वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों में 15,846.33 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया है, जबकि 2002-03 के संशोधित अनुमानों में यह 14,562.41 करोड़ रुपये था।

108. वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां बढ़कर 9,810.62 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है, जबकि वर्ष 2002-03 के संशोधित अनुमानों में ये 8,781.91 करोड़ रुपये की थीं। राजस्व प्राप्तियों में यह वृद्धि 1,028.71 करोड़ रुपये अर्थात् 11.7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों में 10,730.90 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च अनुमानित है, जो वर्ष 2002-03 के संशोधित अनुमानों में 9,868.34 करोड़ रुपये के खर्च से 862.56 करोड़ रुपये अधिक है। खर्च में यह वृद्धि मुख्यत: पेंशन समेत वेतन में 279.65 करोड़ रुपये, ब्याज भुगतान में 252.18 करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 145.85 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी के कारण हुई है।

109. अध्यक्ष महोदय, राजस्व लेखा महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 166.15 करोड़ रुपये कम होकर 920.28 करोड़ रुपये रह जाने की संभावना है, जबकि 2002-03 के संशोधित अनुमानों में यह 1,086.43 करोड़ रुपये था। अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 2003-04 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में होने वाली 11.7 प्रतिशत की वृद्धि राजस्व खर्च में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है, जो अच्छे वित्तीय प्रबन्धन का सूचक है। वित्तीय सुधार उपायों और नीतिगत पहलकदमियों से अतिरिक्त राजस्व जुटाए जाने की संभावना है, जिससे वित्तीय स्थिति में और सुधार होगा।

110. वर्ष 2003-04 के लिए आय-व्यय के अनुमानों का निर्धारण करते समय हमने योजना आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय करों में 10 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है। राज्य की कर प्राप्तियों में 12.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की सम्भावना है। गैर-कर राजस्व रुझानों के आधार पर दर्शाया गया है। योजनेतर खर्च पर अंकुश लगाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों में जनवरी तथा जुलाई, 2003 से देय महंगाई भत्ते की दो किश्तों के लिए 90.33 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

111. मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार व्यापार व उद्योग के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों के प्रति सजग है। हम ऐसी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए हमेशा तैयार हैं जो परेशानी का कारण हैं। हमने नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण, विभिन्न एस०टी० फार्मों की समाप्ति, मांग आंकलन योजना इत्यादि शुरू करने जैसे विभिन्न राहत उपाय किए हैं। हमने विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों को कम किया है। स्थानीय क्षेत्र विकास कर की दर कच्चे तेल, डीजल और पैट्रोल को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं पर 4 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत

[प्रो0 सम्पत सिंह]

कर दी गई है। इन राहत उपायों से हमें आशा है कि व्यापारी समुदाय राज्य करों का भुगतान ईमानदारी से करने के अपने कर्त्तव्य को महसूस करेगा।

112. माननीय सदस्यगण, इस बात को सराहेंगे कि बजट घाटा प्रबन्धनीय सीमा में है तथा प्रस्तावित उपायों से घाटे में और कमी आएगी। हमें आशा है कि आगामी वर्ष में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों तथा केन्द्र से मिलने वाली अन्य सहायता में वृद्धि होगी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य नए कर लगाने या कर दरों में वृद्धि करने की बजाय कर नियमों के निष्पक्ष व प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा ज़्यादा राजस्व जुटाना है। इसलिए, बजट में नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय सदस्यों तथा हरियाणा के लोगों के सहयोग व सहायता से अपने सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम होंगे।

113. इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग एवं एन०आई०सी० के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अथक परिश्रम करके इन बजट प्रस्तावों को तैयार करने में मेरी सहायता की है।

114. महोदय, अब मैं वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 11th March, 2003.

*15.05 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 11th March, 2003)

36726—H.V.S—H.G.P., Chd.